भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2563

मंगलवार, 16 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

चंडीगढ़ स्टार्टअप नीति, 2025

2563. श्री मनीश तिवारीः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा राष्ट्रीय स्टार्टअप इंडिया नीति की पहले ही शुरुआत होने के बावजूद "चंडीगढ़ स्टार्टअप नीति, 2025" को अधिसूचित करने में 2018 में प्रारंभिक प्रारूपण से लेकर अप्रैल 2025 में औपचारिक शुरुआत तक सात साल से अधिक समय क्यों लगा;

(ख) क्या चंडीगढ़ प्रशासन, अधिसूचना के छह महीने बाद भी स्टार्टअप नीति, 2024 को लागू करने में विफल रहा है;

(ग) अब तक नीति के तहत पंजीकृत स्टार्टअप्स की संख्या कितनी है और कितने स्टार्टअप्स ने अब तक वादा किए गए वित्तीय या गैर-वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ उठाया है;

(घ) प्रशासन द्वारा पाँच वर्षों के लिए 10 करोड़ रुपए की वार्षिक निधि निर्धारित करने के बावजूद नीति को लागू करने में देरी के क्या कारण हैं;

(ङ) ई-पोर्टल को कार्यात्मक बनाने, दिशानिर्देश अधिसूचित किए जाने, और लाभों की पहली किश्त संवितरित किए जाने की ठोस समय-सीमा क्या है; और

(च) क्या सरकार की समय पर क्रियान्वयन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए संघ राज्यक्षेत्र को स्थिति-रिपोर्ट निर्देश जारी करने की कोई योजना है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (च): चंडीगढ़ प्रशासन (प्रशासन) के अनुसार, एक ठोस संस्थागत ईकोसिस्टम के साथ एक छोटे से संघ राज्य क्षेत्र के रूप में चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र ने, शुरू में ही एक अलग संघ राज्य क्षेत्र-विशिष्ट नीति जारी करने के बजाय राष्ट्रीय स्टार्टअप इंडिया पहल को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया। समय के साथ,

स्थानीय स्टार्टअप की बढ़ती जरूरतों और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को संरचनाबद्ध नीतिगत फ्रेमवर्क को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिए गए कई निर्देशों के साथ, प्रशासन ने व्यापक अंतर-विभागीय परामर्श, वित्तीय संरचना और हितधारक इंगेजमेंट का कार्य शुरू किया। यह प्रक्रिया दिनांक 29 अप्रैल, 2025 को चंडीगढ़ स्टार्टअप नीति के संबंध में औपचारिक अधिसूचना जारी करने के साथ पूरी हुई।

अधिसूचना के बाद, प्रशासन कार्यान्वयन दिशानिर्देश, प्रोत्साहन संवितरण नियम, संस्थागत तंत्र और ऑनलाइन आवेदन वर्कफ्लो विकसित कर रहा है, और इन सभी के लिए अनिवार्य प्रशासनिक और वित्तीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है। प्रशासन द्वारा अभी तक कोई प्रत्यक्ष वित्तीय प्रोत्साहन वितरित नहीं किया गया है, क्योंकि 10 करोड़ रुपए के निर्धारित वार्षिक कोष के उपयोग में पारदर्शिता, जवाबदेही और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए परिचालन दिशानिर्देशों, समिति संरचनाओं और एक लेखा परीक्षा योग्य आवेदन प्रणाली को अंतिम रूप देना आवश्यक है।

इस अवधि के दौरान, स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत अखिल भारतीय आधार पर स्टार्टअप ईकोसिस्टम के विकास के लिए विभिन्न उपायों के कार्यान्वयन के माध्यम से चंडीगढ़ के ईकोसिस्टम का विकास करना जारी रखा है। इसके परिणामस्वरूप, जबकि वर्ष 2016 में चंडीगढ़ में 10 से कम डीपीआईआईटी से मान्यताप्राप्त स्टार्टअप थे, वहीं दिनांक 31 अक्तूबर, 2025 तक यह संख्या बढ़कर 633 से अधिक हो गई है, साथ ही, चंडीगढ़ के मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्स ने वर्ष 2017 में 300 से कम रोजगारों का सृजन किया, जबकि दिनांक 31 अक्तूबर, 2025 तक उन्होंने 6,260 रोजगारों का सृजन किया है। चंडीगढ़ ने उद्यमिता में महिलाओं की भागीदारी में भी उल्लेखनीय प्रगति का प्रदर्शन किया है। वर्ष 2017 में कम से कम एक महिला निदेशक/भागीदार वाले 10 से कम डीपीआईआईटी मान्यताप्राप्त स्टार्टअप थे, जो दिनांक 31 अक्तूबर, 2025 तक बढ़कर 297 हो गए हैं।

चंडीगढ़ के डीपीआईआईटी से मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्स ने स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत विभिन्न प्रमुख लाभ भी प्राप्त किए हैं। दिनांक 31 अक्तूबर, 2025 तक, स्टार्टअप्स हेतु फंड ऑफ फंड्स (एफएफएस) के तहत सहायता प्राप्त वैकल्पिक निवेश निधियों ने चंडीगढ़ के स्टार्टअप्स में 21.30 करोड़ रुपए का निवेश किया है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) के तहत, सहायता प्राप्त इन्क्यूबेटरों ने चंडीगढ़ के

स्टार्टअप्स को 2.89 करोड़ रुपए अनुमोदित किए हैं। इसके अतिरिक्त, स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएस) के तहत, संघ राज्य क्षेत्र के स्टार्टअप्स को 15 लाख रुपए की राशि के ऋण की गारंटी दी गई है। चंडीगढ़ के 15 स्टार्टअप्स को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80-आईएसी के तहत पात्रता प्रमाण पत्र भी प्राप्त हुआ है, ताकि वे लगातार तीन मूल्यांकन वर्षों के लिए पात्र व्यवसाय से अर्जित लाभ और मुनाफे के 100% के बराबर राशि की कटौती का दावा कर सकें।

*****